

(मूल वाद में डिक्री) (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ला दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प सोहली प.स. बुहाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

शैशनलाल पुत्र बाबुलाल अहीर निवासी निहालपुर

बनाम

तहसीलदार बुहाना

दावा बाबत :- घोषणात्मक (अन्तर्गत धारा 88 RTA)

मुकदमा नम्बर :- 185/2021

निर्णय दिनांक :- 10.11.2021

वाडी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी
की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख
को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष 10.11.2021 निपटारे के लिए पेश होने पर,
आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

1. वाड वाडी स्वीकृत किया जाकर वाने ग्राम निहालपुर
स्थित भूमि खाल लंबा 37 डे खण्ड नम्बर 172 खण्ड
1.50 ई० में बाबुलाल पुत्र खेपाण, विशम्भर पुत्र खेपाण
के स्थान पर बाबुलाल पुत्र खेपाण, विशम्भर पुत्र खेपाण
पुत्रह मित्रे जाने डे आदेश मित्रे जात है। खजसूव सिर्कार
में कमल दरमद हेउ तहसीलदार को रद्वी जाती है।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं राज0

